ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176051 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री इन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति कंचन कालिया	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत तलाड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.03
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.47
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
4	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.12
5	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	13.03
6	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	4.82
7	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों रूपयों के अनियमित भुगतान	2.40
8	8.1	आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके, अधिक अनुमोदित दर से भुगतान करना	0.32
9	8.2	मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से अधिक भुगतान करना	0.05
10	8.3	लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव एवं मूल्यांकन से अधिक खपत दर्शाने के कारण अनियमित व्यय	0.02
11	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	9.97
12	9.2 व 9.3	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.99

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत तलाड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.07.2024 से 31.07.

2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	05/2022
2023–24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Discalimer) :– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/328 दिनांक 31.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/315 दिनांकः–24.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	835420.00	459068.00	1294488.00	486063.00	808425.00
2023-24	808425.00	474916.00	1283341.00	564373.00	718968.00

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1886551.94	5252149.60	7138701.54	5058143.54	2080558.00
2023-24	2080558.00	2343071.89	4423629.89	2676334.89	1747295.00

कुल योग (1+2) 718968.00+1747295.00 =**2466263**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹24,66,263/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **''परिशिष्ट—3''** के अनुसार अन्तशेष ₹ 2469040.53 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित,एम. पी.लेड	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	20030006789	720924.53
2	आई.ए.वाई	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50052177248	121225
3	ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50053237833	1539
4	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50051953858	0
5	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50071884835	1624531
	हस्तगत शेष			821
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः—				₹2469040.53
दिनांक 31.03.2023 को बैंक तथा रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति के आकड़ों में परस्पर अन्तर				

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹2466263.00
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–	₹2469040.53
अन्तरः–	₹2777.53

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.03 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2777.53 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अन्तर बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/316 दिनांकः–25.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अन्तर बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर इस

तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.15वां वित	01/ 06.05.2022	13740,954/ 26,28.03.22	निर्माण रास्ता व नाली तलाड़ा वार्ड–4	34470
2.15वां वित	02/ 25.05.2022	50/ 18.04.2022	निर्माण वाटा टैंक अंमी चन्द इत्यादि	38800
3.15वां वित	04/ 25.05.2022	48/ 30.04.2022	निर्माण डेंन प्रेम चन्द के घर से शाहनी देवी इत्यादि के घर वार्ड–4	64043
4.मनरेगा	निल/ 30.05.2022	13–20/निल	निर्माण सुरक्षा दिवार कृष्ण, बिश्न, राजू नाथ की जमीन वार्ड–4	124670
5.15वां वित	निल/ 28.05.2022	108/ 15.09.2022	भूमि कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार विपन सिंह सुपुत्र राज कुमार की जमीन वार्ड–4	132770

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/327 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उक्त अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि तीसरा वित, एम.पी.लेड इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित व एम.पी.लेड आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20030006789 खोला गया तथा इस खाते से ही आय–व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/327 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

5.1 अनुदान राशि ₹17.47 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/315 दिनांकः–24.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹17,47,295/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	आई.ए.वाई	31.03.2024	121225
2.	ए.ए.वाई	31.03.2024	1539
3	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1624531
		कुल जोड	**1747295**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/317 दिनांक–26.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर को रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.65 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/315 दिनांकः–24.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹65265**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली

हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पर्याप्त कारणों के बिना वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो एक समय पर इसे वसूल/संग्रह कर पाना असम्भव हो सकता है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट ''4''** पर दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष व दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/318 दिनांकः–26.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा तथा सम्पतिकर/गृहकर माँग व प्राप्ति रजिस्टर संधारित करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युतर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पतिकर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को तैयार करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.12 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या ''0070–60–108–01'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1.	2022–23	5800
2	2023–24	6000
	जोड	11800

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/318 दिनांकः–26.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलाड़ा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹13.03 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) अनुसार स्टोर/स्टॉक का क्रय करने सम्बन्धी निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत तलाड़ा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट–"6" में दिए गए विवरणानुसार ₹13,03,123/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/323 दिनांकः–29.07.2024

द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.82 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तलाड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹481810/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका एवं लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता व पारदर्शिता के अभाव में धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0व0का0/2024/322 दिनांकः–29.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः– 31.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक रजिस्टर संधारित करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹2.40 लाख की राजस्व हानि एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों रूपये के अनियमित भुगतान करनाः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/2024192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.23 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं (Contractors/vendors) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "W" या "X" जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—''7''** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹2,39,731/— का अनियमित भुगतान किया गया तथा अंकेक्षणावधि के दौरान नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख के अभाव में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/324 दिनांकः—30.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 02/2024 दिनांकः—31.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतु गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस गम्भीर प्रकरण को समस्त अनियमित भुगतानों के विस्तृत व पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित खनन जिला अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये अथवा समस्त अनियमित भुगतानों के पूर्ण एवं स्वतः स्पष्ट विवरण सक्षम

प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इस प्रकार अनियमित भुगतानों की उचित स्त्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.1 आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके, अधिक अनुमोदित दर से ₹0.32 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त तीन निविदाओं में मै0 नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा द्वारा दो मदो बजरी (20mm), मिक्चर मशीन के ₹1235 प्रति घन मीटर व ₹500/— प्रतिदिन तथा मै0 विवेक शर्मा सरकारी ठेकेदार घटोट सुकड़ द्वारा ₹1050 प्रति घन मीटर व ₹300/— प्रतिदिन तथा मै0 चूहर सिंह सरकारी ठेकेदार तलाड़ा द्वारा ₹1500 प्रति घन मीटर व ₹800/— प्रतिदिन की दर दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से मै0 विवेक शर्मा सरकारी ठेकेदार घटोट सुकड़ द्वारा दी गई दरे ₹1050/— व ₹300/— ही न्यूनतम है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार उक्त मदों का क्रय मै0 विवेक शर्मा सरकारी ठेकेदार घटोट सुकड़ के स्थान पर मै0 नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा से किया गया था। आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके अधिक अनुमोदित दर से निम्न विवरणानुसार ₹32020/— का अधिक भुगतान किया गया था। जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता हैः—

अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक/ बिल सं0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	शून्य/30.05.22/13	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	बजरी क्रैशर 40m3 (20mm)	42000 (40@1050)	49400 (40@1235)	7400
2.मनरेगा	शून्य/30.05.22/20	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	मिक्चर मशीन 17Day	5100 (17@300)	8500 (17@500)	3400
3.मनरेगा	शून्य/30.05.22/21	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	बजरी क्रैशर	27300 (26@1050)	32110 (26@1235)	4810

			26m3 (20mm)			
4.मनरेगा	शून्य / 30.05. 22 / 29	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	मिक्चर मशीन 21Day	6300 (21@300)	10500 (21@500)	4200
5.मनरेगा	शून्य / 30.05. 22 / 31	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	बजरी क्रैशर 33 m3 (20mm)	34650 (33@1050)	40755 (33@1235)	6105
6.मनरेगा	शून्य / 30.05. 22 / 38	मै नीरज चौधरी नोलारी तलाड़ा	बजरी क्रैशर 33 m3 (20mm)	34650 (33@1050)	40755 (33@1235)	6105
					कुल योग	32020

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 326 दिनांकः–30 / 07 / 2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव तलाड़ा के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित फर्म / संविदाकार से कर ली जायेगी तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उपरोक्त किये गये भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार किये गए अधिक भुगतान राशि की संस्था / विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

ANNUAL REPORT

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या– SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 , Dated:-25-05-2022 में उल्लेखित प्रावधान The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of

40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:—Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost" के अनुसार भुगतान किया किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये कार्य में उक्त नियमानुसार भुगतान न करके ₹5136 का अधिक भुगतान किया गया था:—

अनुदान	वाउचर सं0 / दि0	बिल सं0 / दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1 मनरेगा	शून्य / 30.05.2022	42—44 / 05.03.2022	नि0 गउशाला शैड सुनील कुमार की जमीन वार्ड 5	22110 (13266+(13266X 2/3)	27246	5136

उक्त मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय / भुगतान करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 327 दिनांकः—31.07.2024 द्वारा पंचायत के ध्यान में लाया गया, जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 / 2024 दिनांक 31.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी निर्माण कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार / व्यक्ति से करके संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उक्त अधिक किये गये भुगतान बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :—

निर्माण वाटर टैंक हरवंश स्पुत्र नकेलू राम की जमीन वार्ड—9 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 14070 के पृष्ठ संख्या 8 में निर्माण सामग्री, बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 34 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री बजरी 12m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत

दर्शाने/जारी करने लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के कारण ₹2112 का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि (₹)
1.	मनरेगा	बजरी	12m3	10.29m3	1.71m3	1235	2112

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>

.Item-3,4,6 P/L(1:6:12) =11.02m3X 0.89(Sand. Factor) +5%(Variations) =**10.29m3**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/325 दिनांक:–30.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–02/2024 दिनांक 31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति/संविदाकार से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

9 ₹9.96 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न तालिका अनुसार राशि ₹996710/– के निमार्ण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य/25.05.2022	निर्माण भूमि सुरक्षा दीवार कश्मीर सिंह, वीर सिंह सोहन	103410

			सिंह इत्यादि वार्ड–9	
2	मनरेगा	शून्य / 30.05.2022	निर्माण जीप योग्य रोड मुहल्ला सुरेश, नरेश से गांव नोलारी वार्ड–3	135485
3	मनरेगा	शून्य / 25.05.2022	निर्माण जीप योग्य रोड नरेश जमीन से नोटा कुआं तलाड़ा वार्ड–7	133805
4	मनरेगा	शून्य / 25.05. 2022, 28.06.2023	निर्माण जीप योग्य रोड मुहल्ला हरनाम सिंह राज कुमार, तारा चन्द उतम, गोपी राम आदि वार्ड–2	208920
5	मनरेगा	निल / 28.06. 2023,28.06.2023	निर्माण जीप योग्य रोड पुली सहित मेन रोड से मुहल्ला संदीप सुपुत्र महिन्द्रराज, विश्नदास वार्ड–1	161765
6	मनरेगा	निल / 02.06.2023	निर्माण भूमि सुरक्षा दीवार कुलदीप कुमार, कमल किशोर, सुरिन्द्र कुमार वार्ड–2	48160
7	मनरेगा	निल / 28.06.2023	निर्माण भूमि सुरक्षा दीवार कश्मीर सिंह, वीर सिंह सोहन सिंह इत्यादि वार्ड–5	141920
8	मनरेगा	निल / 28.06.2023	निर्माण जीप योग्य रोड विशम्बर सिंह मनोहर लाल आदि की जमीन वार्ड–2	63245
				996710

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत तलाड़ा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 327 दिनांकः– 31 / 07 / 2027 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 / 2024 दिनांक 31 / 07 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

NNUAL
EPORT

9.2 अग्रिम ₹1.96 लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसे पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था, तथा किये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार ₹196479 का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया थाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर / दिनांक / बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	मनरेगा	शून्य / 25.05. 2022 / 0101584	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन फतेहपुर	सीमेंट बैग	–	–	86175
2	मनरेगा	शून्य / 25.05. 2022 / 0101578	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन फतेहपुर	सीमेंट बैग	–	–	58599
3	मनरेगा	शून्य / 25.05. 2022 / शून्य	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन फतेहपुर	सीमेंट बैग	–	–	51705
						कुल जोड	**196479**

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 327 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 / 2024 दिनांक 31.7. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान राशि के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण कार्यों के सीमेंट खरीदने हेतु हि0प्र0 सिविल सप्लाई को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासो 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अन्तर्गत निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया थाः—

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	61754 (154@401)	62046 (154@402.896)	292
2.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	103057 (257@401)	103410 (257@402.373)	353
3.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	61754 (154@401)	62046 (154@402.896)	292
4.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	85814 (214@401)	86175 (214@402.686)	361
5.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	61353 (153@401)	62046 (153@405.53)	693
6.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	19649 (49@401)	19993 (49@408.02)	344
7.मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	103057 (257@401)	103410 (257@402.373)	353
7मनरेगा	निल/25. 05.2022	मै0हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर	सीमेंट बैग	65363 (163@401)	65495 (163@401.809)	132
					कुल योग	2820

उपरोक्त बिल/वाउचरों द्वारा मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई फतेहपुर को कुल मिलाकर ₹2820/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/327 दिनांकः–31.07.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांकः–31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई फतेहपुर को किये गये अधिक भुगतान के बारे में उनसे पत्राचार कर लिया जायेगा तथा वसूली का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान का हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अन्तर्गत प्रारूप–9 में उल्लेखित अस्थायी अग्रिम रजिस्टर सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹30.59 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹30,58,927/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/327 दिनांकः–31.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलाड़ा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः– 31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्जोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "4.1 (घ) तथा 9" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के कुछ बिलों के अतिरिक्त अन्य को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/327 दिनांक:– 31.07.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत तलाड़ा को अवगत करवाया गया, जिनके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 02/2024 दिनांक:– 31.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे नियम प्रावधानों के दृष्टिगत उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/315 दिनांकः 24.07.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः– 31.07.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी

10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/315 दिनांकः–24.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 02/2024 दिनांकः– 31.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुको के स्टॉक के अवलोकन में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं

रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत तलाड़ा द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत तलाड़ा के चयनित मासो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति
21 OCT 2024 4743–4747

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)431/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत तलाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP TALARA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	835420.00	459068.00	1294488.00	486063.00	808425.00
2023-24	808425.00	474916.00	1283341.00	564373.00	718968.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1886551.94	5252149.60	7138701.54	5058143.54	2080558.00
2023-24	2080558.00	2343071.89	4423629.89	2676334.89	1747295.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

Checked

ANNEXURE -2 (प्रश्न संख्या - "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP TALARA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	IAY	2022-23	114384.00	3263.00	117647.00	0.00	117647.00
		2023-24	117647.00	3578.00	121225.00	0.00	121225.00
2	AAY	2022-23	1454.00	41.00	1495.00	0.00	1495.00
		2023-24	1495.00	44.00	1539.00	0.00	1539.00
3	14TH FC	2022-23	83839.44	37220.00	121059.44	120142.44	917.00
		2023-24	917.00	5.00	922.00	922.00	0.00
4	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1686874.50	2044842.00	3731716.50	1771217.50	1960499.00
		2023-24	1960499.00	530809.00	2491308.00	866777.00	1624531.00
5	MNREGA	2022-23	0.00	3166783.60	3166783.60	3166783.60	0.00
		2023-24	0.00	1808635.89	1808635.89	1808635.89	0.00

Checked

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत तलाड़ा विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176051

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत तलाड़ा के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	20030006789	841920.53	720924.53
2	आई.ए.वाई	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50052177248	114384	121225
3	ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50053237833	1454	1539
4	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50051953858	77338	0
5	15वाँ वित्त / पी. एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक राजा का तालाब	50071884835	1686874.50	1624531
6	हस्तगत शेष(ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)				821
			कुल जोड.	**2721971.03**	**2469040.53**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या - 6.1)

कार्यालय ग्राम पंचायत तलाड़ा विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176051

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 958 तथा 2023–24 में 978 परिवारों का रु 30/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	**अथशेष**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि ₹**
2022–23	115635	958	30	28740	144375	108450	35925
2023–24	35925	978	30	29340	65265	00	65265
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹ 65265**/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

Checked

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या – "6:2")

कार्यालय ग्राम पंचायत तलाड़ा विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि०प्र० 176051

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2022–23	5800
2	2023–24	6000
	जोड	11800

Checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तलाड़ा
विकास खण्ड फतेहपुर
जिला काँगड़ा

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

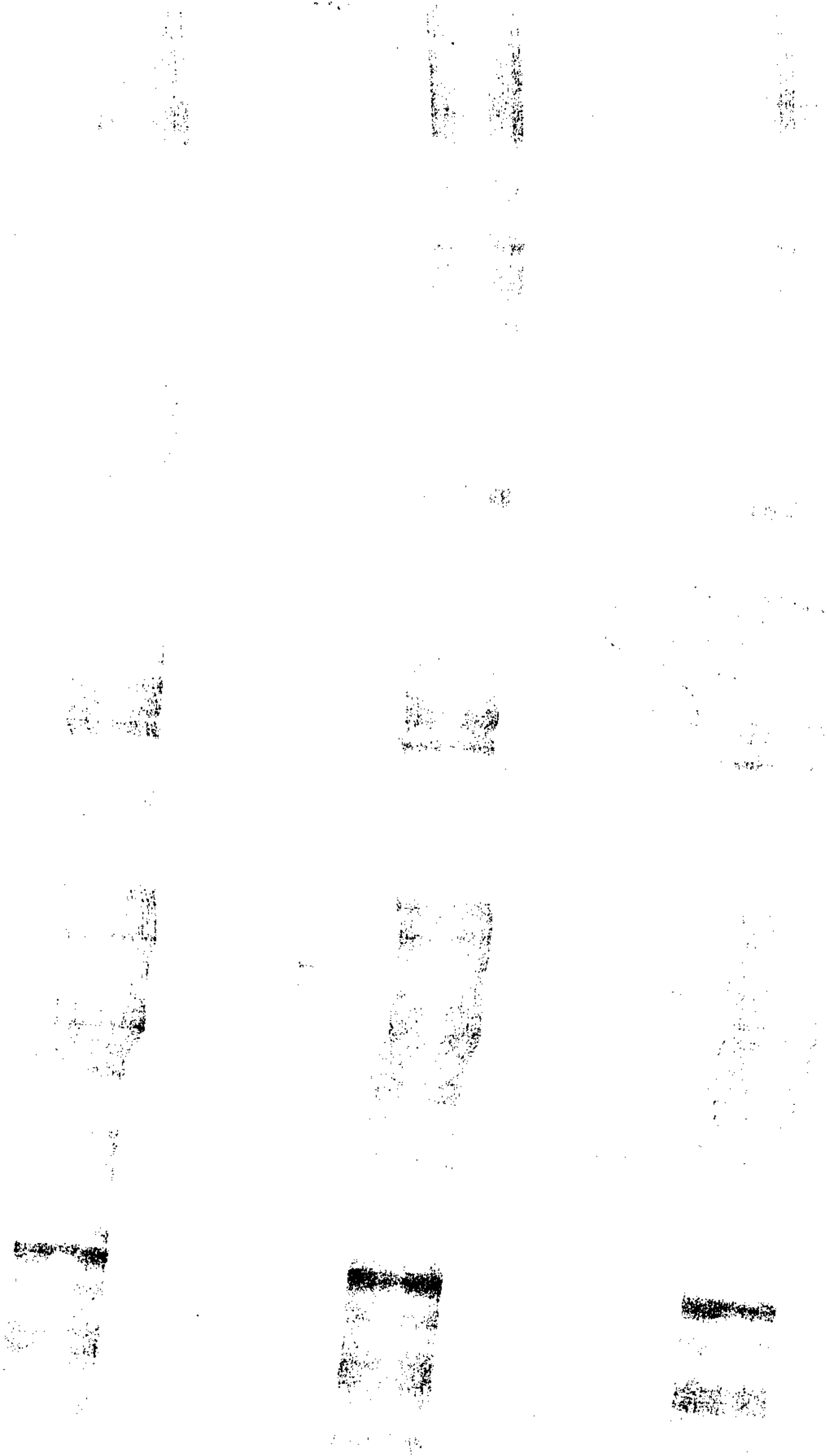

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या) - 7.1 व 7.2

ग्राम पंचायत तलाडा विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनु	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.15TH FC	02/25.05.2022	Sand	50/18.04.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	6m3	1190	7140	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Agg.			11m3	1220	13420	
		Stone			2m3	950	1900	
2.15TH FC	04/25.05.2022	Agg.Crasher	48/30.04.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	04m3	1217	9736	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			11m3	1187.025	4748	
		Agg.Chakki			18m3	1087.3	19571	
		Sand Chakki			9m3	987.53	8888	
		Boulder			4m3	1000	4000	
		Water Tank			3	700	2100	
		Mixture			10Day	600	6000	
		Shuttering			300cft	30	9000	
3.15TH FC	05/25.05.2022	Agg.Crasher	47/18.04.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	30m3	1220	36600	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			15m3	1190	17850	
		Agg.Chakki			15m3	1090	16350	
		Sand Chakki			7m3	990	6930	
		Boulder			6m3	1000	6000	
		Water Tank			5	700	3500	
		Mixture			12Day	600	7200	
		Cement Carrg.			185Bag	35	6475	
4.MNREGA	Nil/30.05.2022	Agg.Crasher	13-17/Nil	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	40m3	1235	49400	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Sand.Crasher			20m3	1230	24600	
		Agg.Chakki			12m3	830	9960	
		Sand Chakki			6m3	900	5400	
		Boulder			7m3	530	3710	
5.MNREGA	Nil/30.05.2022	Agg.Crasher	22-26/Nil	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	26m3	1235	32110	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Sand.Crasher			13m3	1230	15990	
		Agg.Chakki			12m3	830	9960	
		Sand Chakki			6m3	900	5400	
		Boulder			35m3	530	18550	
6.MNREGA	Nil/30.05.2022	Agg.Crasher	42-44/05.03.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	3m3	1235	3705	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Sand.Crasher			4.5m3	1230	5535	
		Boulder			8m3	530	4240	
7.MNREGA	Nil/30.05.2022	Agg.Crasher(40m	31.32/29.12.2021	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	18m3	1040	18720	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Sand.Crasher			30m3	1230	36900	
		Agg.Crasher(20m			33m3	1235	40755	
		Agg.Chakki			12m3	830	9960	
		Boulder			55m3	530	29150	
8.MNREGA	Nil/30.05.2022	Agg.Crasher(20m	38/05.02.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	33m3	1235	40755	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Sand.Crasher			31m3	1230	38130	
		Agg.Crasher(40m			243	1040	24960	
		Agg.Chakki			8m3	830	6640	
		Boulder			44m3	530	23320	
9.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	34.35/07.01.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	6m3	900	5400	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			12m3	1235	14820	
10.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sand Crasher	110/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	37m3	1190	44030	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Agg.Crsh.(20mm)			19m3	1220	23180	
		Agg.Crsh.(40mm)			51m3	1210	61710	
		Boulder			13m3	1000	13000	
11.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher	108/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	40m3	1220	48800	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			20m3	1190	23800	
		Agg.Chakki			15m3	1090	16350	
		Sand Chakki			7m3	990	6930	
		Cement Carrg.			154 Bag	35	5390	
		Mixture			15Day	600	9000	
		Shuttering			750sft	30	22500	
12.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher	106/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	14m3	1220	17080	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			7m3	1190	8330	
		Agg.Chakki			05m3	1090	5450	
		Sand Chakki			2m3	990	1980	
		Cement Carrg.			49 Bag	35	1715	
		Water Tank			2No	700	1400	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

31

		Shuttering			294sft	30	8820	
13.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	105/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
14.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher	131/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	32m3	1220	39040	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			16m3	1190	19040	
		Agg.Chakki			13m3	1090	14170	
		Sand Chakki			7m3	990	6930	
		Mixture			15Day	600	9000	
		Shuttering			575sft	30	17250	
		Boulder			9m3	1000	9000	
		Water Tank			2 No	700	1400	
15.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	130/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
16.MNREGA	NIL/30.06.2023	Sign Board with Writing	116/10.01.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
17.MNREGA	NIL/30.06.2023	Agg.Crasher	115/10.01.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	45m3	1220	54900	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			23m3	1190	27370	
		Agg.Chakki			12m3	1090	13080	
		Sand Chakki			6m3	990	5940	
		Mixture			15Day	600	9000	
		Water Tank			3No	700	2100	
		Shuttering			575sft	30	17250	
		Cement.Carrg			149	35	5215	
18.MNREGA	NIL/30.06.2023	Sign Board with Writing	129/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
19.MNREGA	NIL/30.06.2023	Agg.Crasher	128/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	30m3	1220	36600	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			15m3	1190	17850	
		Agg.Chakki			22m3	1090	23980	
		Sand Chakki			11m3	990	10890	
		Mixture			15Day	600	9000	
		Water Tank			3No	700	2100	
		Shuttering			550sft	30	16500	
		Cement.Carrg			149Bag	35	5215	
		Boulder			10m3	1000	10000	
20.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	118/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
21.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher	117/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	50m3	1220	61000	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			25m3	1190	29750	
		Agg.Chakki			10m3	1090	10900	
		Sand Chakki			5m3	990	4950	
		Mixture			16Day	600	9600	
		Water Tank			3No	700	2100	
		Shuttering			425sft	30	12750	
		Cement.Carrg			153Bag	35	5355	
22.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher(40m	136/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	15m3	1210	18150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			34m3	1190	40460	
		Agg.Crasher(20m			20m3	1220	24400	
		Agg.Crasher(10m			5m3	1100	5500	
		Boulder			17m3	1000	17000	
23.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	137/28.03.2023	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
24.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher(40m	112/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	22m3	1210	26620	दो निविदाये निविदाये प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			19m3	1190	22610	
		Agg.Crasher(20m			12m3	1220	14640	
		Agg.Crasher(10m			4m3	1100	4400	
		Boulder			28m3	1000	28000	
25.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	111/15.09.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
26.MNREGA	NIL/28.06.2023	Sign Board with Writing	113/10.11.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	1	1500	1500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
27.MNREGA	NIL/28.06.2023	Agg.Crasher	114/10.11.2022	M/s Neeraj Choudhary Nolari Talara	15m3	1220	18300	दो निविदाये व एक निविदा प्रस्तुत की गई
		Sand.Crasher			7m3	1190	8330	
		Agg.Chakki			6m3	1090	6540	
		Sand Chakki			3m3	990	2970	
		Mixture.M			8Day	600	4800	
		Water Tank			2 No	700	1400	
		Boulder			18m3	1000	18000	
		Cement.Carrg			83Bag	35	2905	
28.MNREGA	NIL/28.06.2023	TMT 10mm	152/29.04.2022	Chandra Traders Ganon Panjahara Nurpur	57.6kg	64.93	3740	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
						कुल योग	1784933	

नोट:- 1. क्रम संख्या 1 से 3 तथा 10 से 27 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।
2. क्रम संख्या 4 से 9 तथा 28 की स्टॉक प्रविष्टियां ...

Secretary Gram Panchayat Talara ... Fatehpur Kangra

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "7.3")

ग्राम पंचायत तलाड़ा, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि								
Name of Supplier	**Vr. No. & Date**	**Bill No. & Date**	**Name of Item**	**Qty. (cum)**	**Determining Fator**	**Qty. (in MT.)**	**Royality (Per MT.)**	**Due Royality**
15TH FC,MNREGA								
M/s Neeraj Choudhary Nolari	02/25.05.2022	50/18.04.2022	Sand	6.000	1.62	9.720	80	777.60
			Bajri	11.000	1.52	16.720	80	1337.60
			Stone	2.000	2.24	4.480	80	358.40
do	04/25.05.2022	48/30.04.2022	Sand	13.000	1.62	21.060	80	1684.80
			Bajri	26.000	1.52	39.520	80	3161.60
			Stone	4.000	2.24	8.960	80	716.80
do	05/25.05.2022	47/18.04.2022	Sand	22.000	1.62	35.640	80	2851.20
			Bajri	45.000	1.52	68.400	80	5472.00
			Stone	6.000	2.24	13.440	80	1075.20
do	Nil/30.05.2022	13-17/Nil	Sand	26.000	1.62	42.120	80	3369.60
			Bajri	52.000	1.52	79.040	80	6323.20
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	Nil/30.05.2022	22-26/25.12.2021,Nil	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	38.000	1.52	57.760	80	4620.80
			Stone	35.000	2.24	78.400	80	6272.00
do	Nil/30.05.2022	42-44/05.03.2022	Sand	4.500	1.62	7.290	80	583.20
			Bajri	3.000	1.52	4.560	80	364.80
			Stone	8.000	2.24	17.920	80	1433.60
do	Nil/30.05.2022	31,32/29.12.2021	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	63.000	1.52	95.760	80	7660.80
			Stone	55.000	2.24	123.200	80	9856.00
do	Nil/30.05.2022	38/5.02.2022	Sand	31.000	1.62	50.220	80	4017.60
			Bajri	65.000	1.52	98.800	80	7904.00
			Stone	44.000	2.24	98.560	80	7884.80
do	Nil/30.05.2022	34,35/07.01.2022	Sand	6.000	1.62	9.720	80	777.60
			Bajri	12.000	1.52	18.240	80	1459.20
do	Nil/28.06.2023	110/15.09.2022	Sand	37.000	1.62	59.940	80	4795.20
			Bajri	70.000	1.52	106.400	80	8512.00
			Stone	13.000	2.24	29.120	80	2329.60
do	Nil/28.06.2023	108/15.09.2022	Sand	27.000	1.62	43.740	80	3499.20
			Bajri	55.000	1.52	83.600	80	6688.00
do	Nil/28.06.2023	106/15.09.2022	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80	2310.40
do	Nil/28.06.2023	131/28.03.2023	Sand	23.000	1.62	37.260	80	2980.80
			Bajri	45.000	1.52	68.400	80	5472.00
			Stone	9.000	2.24	20.160	80	1612.80
do	Nil/30.06.2023	115/15.09.2022	Sand	29.000	1.62	46.980	80	3758.40
			Bajri	57.000	1.52	86.640	80	6931.20
do	Nil/30.06.2023	128/28.03.2023	Sand	26.000	1.62	42.120	80	3369.60
			Bajri	52.000	1.52	79.040	80	6323.20
			Stone	10.000	2.24	22.400	80	1792.00
do	Nil/28.06.2023	117/28.03.2023	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	60.000	1.52	91.200	80	7296.00
do	Nil/28.06.2023	136/28.03.2023	Sand	34.000	1.62	55.080	80	4406.40
			Bajri	40.000	1.52	60.800	80	4864.00
			Stone	17.000	2.24	38.080	80	3046.40
do	Nil/28.06.2023	137/28.03.2023	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	38.000	1.52	57.760	80	4620.80
			Stone	28.000	2.24	62.720	80	5017.60
do	Nil/28.06.2023	114/10.11.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	21.000	1.52	31.920	80	2553.60
			Stone	18.000	2.24	40.320	80	3225.60
							Total	**191784.80**
							25% Penalty	**47946.20**
							G.Total	**239731.00**

Checked

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Talara
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)